फा. सं. 12024/01/2020-रा.भा.(का.2)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
***

एनडीसीसी-2 भवन, बी विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 07.09.2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय : गृह पत्रिकाओं का ई-पत्रिका के रूप में प्रकाशन।

हिंदी गृह पत्रिकाओं को डिजिटल/ ई-पत्रिका के रूप में उपलब्ध कराए जाने से संबंधित विषय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिनांक 21.07.2020 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के 16 संस्थानों (कार्यालयों/उपक्रमों/नराकास/बैंक आदि) ने अपनी गृह पत्रिकाओं को ई पत्रिका के रूप में अपलोड किया है । सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में ऐसा करना अत्यंत आवश्यक है। इससे न सिर्फ कार्यालयों द्वारा अपलोड की गई हिंदी पत्रिकाओं के पाठकों की संख्या में वृद्धि होगी बल्कि इंटरनेट पर हिंदी की विषय-वस्तु भी बढ़ेगी । कुछ संस्थानों द्वारा पत्रिका का सीधा लिंक न देते हुए नराकास/ब्लॉग/गूगल लिंक दर्शाया गया है तथा इस लिंक पर जाने पर भी पत्रिका पढ़ने हेतु उपलब्ध नहीं कराई गई है । सभी संस्थानों से अनुरोध है कि केवल पत्रिका का ही लिंक दें ताकि पाठक सीधा लिंक के माध्यम से पत्रिका देख कर पढ़ पाएं ।

2. राजभाषा विभाग द्वारा शीघ्र ही अपनी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर "ई-पत्रिका पुस्तकालय" नामक लिंक/टैब उपलब्ध कराया जा रहा है जिस पर इन सभी ई-पत्रिकाओं को दर्शाया जाएगा।

3. कृपया दिनांक 21.07.2020 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के क्रम सं 7 में उल्लिखित 'राजभाषा गौरव पुरस्कार' को 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' पढ़ें ।

4. सूचना, सम्प्रेषण एवं प्रौद्योगिकी (ICT) के माध्यम से राजभाषा हिंदी का प्रयोग एवं प्रसार करने के उद्देश्य से अनुरोध है कि गृह पत्रिकाओं का ई-पत्रिका के रूप में अधिकाधिक प्रकाशन करना सुनिश्चित करें ।

संदीप 07/09/20
(संदीप आर्य)
निदेशक(का.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय।
3. भारत निर्वाचन आयोग ।
4. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वितीय संस्थाओं तथा केंद्र सरकार के स्वामित्व में आने वाले विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें ।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त कार्यालय ज्ञापन को वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।
6. उप सचिव (पत्रिका), राजभाषा विभाग को इस अनुरोध के साथ कि ई पत्रिका को राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों में शामिल करते हुए दिशा-निर्देश जारी करें ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव(राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
2. संयुक्त सचिव(राजभाषा) के निजी सचिव।